**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या:2635

उत्‍तर देने की तारीख: 09.08.2018

**शिक्षा मित्रों की नियुक्ति**

2635. श्री संजय सिंहः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि समान शासनादेश से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में शिक्षामित्रों की नियुक्ति

हुई थी परंतु उत्तर प्रदेश में उनका डिमोशन व उत्तराखंड में उनको पद पर बरकरार रखा गया;

(ख) इन राज्यों में हो रही ऐसी असमानता का कारण क्या है;

(ग) यह सच है कि पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 700 शिक्षामित्रों की मृत्यु हो चुकी है;

(घ) सरकार संसद में कानून बनाकर शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर कब तक बहाल करेगी; और

(ङ) मृत शिक्षामित्रों के परिवारों को मुआवजा देने का क्या प्रावधन है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) और (ख) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है और देश में अधिकांश स्कूल और शिक्षक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं।  उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र दिनांक 26.05.1999 और 01.07.2000 के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के जरिए संविदा आधार पर नियोजित हुए थे और उत्तराखंड में दिनांक 27.01 2001 के उत्तराखंड सरकार के आदेश के जरिए संविदा आधार पर पद भरे गए थे।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) संख्या सी 32599/ 2015 (उत्तर प्रदेश राज्य अन्य बनाम आनंद कुमार यादव और अन्य) में दिनांक 25.07.2017 को एक आदेश पास करते हुए यह बताया कि सहायक शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्र को नियमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तदनुसार, उच्चतम न्यायालय आदेश के अनुपालन में,  उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों का समायोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रद्द किया गया था।

उत्तराखंड में, दिनांक 1 मार्च 2009 में सरकारी आदेश संख्या 323/XXIV(1)/15/2004  में जरिए, इस बात का निर्णय लिया गया कि वह उन शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए 2 वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण प्रदान करें जो स्नातक थे। वर्ष 2011 में, दिनांक 1 सितंबर 2011 के सरकारी आदेश संख्या 1041/XXIV(1)/2011-25/11 और दिनांक 8 जून 2015 के सरकारी आदेश संख्या 935/ XXIV(1)2015-25/2011 के जरिए,  इस बात का निर्णय लिया गया कि वे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के माध्यम से बाकी स्नातक की शिक्षा मित्रों को 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण प्रदान करें। उन उम्‍मीदवारों, जिन्‍होंने दो वर्षीय बीटीसी/डीएलएड पूरा कर लिया था, द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट प्राप्‍त करने के लिए माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दर्ज विशेष अपील संख्या 499/2014, 500/2014 और 501/2014, 2 वर्ष बीटीसी/ डीएड, पूरा किया था, में माननीय न्यायालय ने इन अभ्यर्थियों के अनंतिम नियुक्ति के लिए निर्देश दिया था। माननीय न्यायालय ने पुन: दिनांक 23.01.2017 के अपने आदेश के जरिए उन अभ्यर्थियों के लिए नियमित नियुक्ति देने का आदेश दिया था जो दिनांक 23.08.2010 की अधिसूचना के  माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए प्रावधानों और शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सहायक शिक्षक के लिए पात्रता पूरी करते हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, उत्‍तराखंड सरकार ने उत्‍तराखंड के पात्र शिक्षामित्रों को सहायक अध्‍यापक नियुक्त किया गया था।

(ग)  उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एसएलपी संख्या 32235/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय में दर्ज समीक्षा याचिका संख्या 2828/2017 के साथ संलग्न शिक्षामित्र की सूची में से जिन शिक्षामित्रों को मृत बताया गया है, 02 शिक्षामित्र वर्तमान में स्कूलों में कार्य कर रहे हैं और अन्य शिक्षामित्रों की व्यक्तिगत कारणों की वजह से मृत्‍यु हुई है।

(घ)   शिक्षकों की नियुक्ति के नियम और शर्ते संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि एसएलपी संख्या- 32599/2015 में दिनांक 25-7-2017 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में प्रोन्नत नहीं किया जा सकता है।

(ड.)  उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि शिक्षामित्र संविदा आधार पर नियुक्त किए गए थे, उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों के मुआवजे के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

**\*\*\*\*\***